न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–सुश्री प्रिंयका तलानिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–131/2019

1. गुरविन्द्र कौर पत्नी गुरसेवक सिंह उर्फ सेवक सिंह पुत्री मुख्तयारसिंह जाति जटसिख उम्र 36 वर्ष निवासी 10 बी एल एम ए बिलौचिया तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कुलवंत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह पुत्री मुख्त्यार सिंह जाति जटसिख उम्र 39 वर्ष निवासी 15 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

––– **वादीगण**

बनाम्

1. मुख्त्यार सिंह पुत्र सुरजन सिंह जाति जटसिख उम्र करीब 70 वर्ष निवासी 15 एपीडी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. सर्वजीत कौर पत्नी गुरदयालसिंह उर्फ बिटटू जाति जटसिख उम्र 34 वर्ष निवासी 17 पी (ढाणी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
3. बेअंत सिंह पुत्र कश्मीरसिंह जाति जटसिख निवासी 56 जी.बी. (ए) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
4. तहसीलदार (राजस्व एवं भू.अ.), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. उप पंजीयक, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर(राज.)
6. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर(राज.)

–––––**प्रतिवादीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी.

उपस्थित–

1. श्री योगेन्द्र कुमार एडवोकेट – वादीगण की ओर से
2. श्री जुल्फिकार खां – प्रतिवादी संख्या 1वा3 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक–11.10.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1वा3 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एंव सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवानी प्रकरण में वादीगण के द्वारा वाद पत्र पंजीकृत दस्तावेज बैयनामा दिनांक–08.11.2019 के आधार पर प्रस्तुत करते हुए बैयनामा [illegible].2019 को श्रीमान् न्यायालय में प्रश्नागत करते हुए बैयनामा [illegible] के अधिकारों के प्रति शून्य प्रभावहीन, बेअसर का अनुतोष चाहा गया है। [illegible] दस्तावेज बैयनामा दिनांक 08.11.2019 के संबंध मे श्रीमान् राजस्व न्यायालय को किसी प्रकार का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त ना होकर माननीय सिविल न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अनवानी वाद श्रीमान् राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही होने के कारण वा वादीगण को इल्म होने के बावजूद भी मियाद बाहर वाद पत्र पेश किया है इस कारण भी उक्त वाद इसी स्टेज पर काबिले खारिजी योग्य हैं। वादीगण को वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 16:33:18 IST
Reason: SelfAttested

का नही होने वा मियाद बाहर होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज फरमाऐ जाने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण की तरफ से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने उपर्युक्त अनवान का वाद पत्र धारा 88, 92ए, 188, 209 आर.टी.एक्ट के तहत कृषि भूमि चक नम्बर 56 जी.बी (ए) तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नं.–23 के पत्थर नं–226/441 मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–226/462 का 109/6125 यानि 0.109 हैक्टर कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या–2 को बहिस्सा बराबर खातेदार घोषित करने हेतु प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध स्थाई व्यादेश व आनुषांगिक अनुतोष के रूप में विवादित कृषि भूमि के नामान्तरण संख्या–274 दिनांक 10.05.2015 व बैयनामा दिनांक –08.11.2019 दोनों को ही आरम्भ से ही शून्य, प्रभावहीन व अवैध व वादीगण के हकों पर बेअसर घोषित व प्रभावहीन करने का अनुतोष चाहा है। वाद पत्र प्रथकथनों से स्पष्ट है कि वाद पत्र में वादीगण का मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है तथा राजस्व न्यायालय विक्रय विलेख(बैयनामा) पर विचार किये बिना तथा विक्रय विलेख निरस्त किए बिना कर ही वादीगण के अधिकारों की घोषणा कर सकता है। प्रकरण मे विक्रय विलेख को आरम्भ से ही शून्य, प्रभावहीन व अवैध व वादीगण के हकों पर बेअसर घोषित किए जाने का अनुतोष केवल आनुषांगिक अनुतोष है। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 88,91,92 ए,188,209 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा वाद में चाहे गए अनुतोष का विनिश्चय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विवाद्यक कायम करके तदुपंरात पर्याप्त साक्ष्य एवं पक्षकारान की विधिवत सुनवाई के बाद गुणावगुण पर हो सकता है। वाद माननीय राजस्व न्यायालय मे पोषणीय है तथा कतई विधि वर्जित नही है। वादीगण का मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है तथा आनुषांगिक अनुतोष है तथा केवल आनुषांगिक अनुतोष विक्रय विलेख दिनांक 08.11.2019 को आरम्भ से ही शून्य,प्रभावहीन व अवैध व वादीगण के हको पर बेअसर घोषित किए जाने का है। प्रकरण केवल राजस्व न्यायालय मे पोषणीय है। वाद की सुनवाई का श्रवाणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है। ना ही प्रकरण मियाद बाहर है और ना ही घोषणा के संबंध मे राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई मियाद अवधि निर्धारित है। वाद गुणावगुण पर विनिश्चय किए जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस पक्षकारान की सुनी गई। वकील पक्षकारान द्वारा बहस में उठाये गये बिन्दुओं पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्याायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01ता3 ने हस्तगत वाद को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है।

वकील प्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कहा कि वाद पत्र में वर्णित मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है तथा राजस्व न्यायालय विक्रय विलेख (बैयनामा) पर विचार किये बिना तथा विक्रय विलेख निरस्त किए बिना ही वादीगण के अधिकारों की घोषणा कर सकता है। प्रकरण मे विक्रय विलेख को आरम्भ से ही शून्य, प्रभावहीन व अवैध व वादीगण के हकों पर बेअसर घोषित किए जाने का अनुतोष केवल आनुषांगिक अनुतोष है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka
Date: 2022.10.17 16:33:18 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय की राय में अप्रार्थी संख्या–1वा3 ने जिन उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर वाद को विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है, वे बिन्दु विधि एवं तथ्यों से मिश्रित है, वादी ने वाद में वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा है राज.काश्तकारी अधिनियम की तृत्तीय अनुसूची के

क्रम संख्या–05 में अधिकारों की घोषणा का वाद के संबंध में प्रावधान है खातेदारी अधिकारों की घोषणा के विवाद बिन्दू के विनिश्चय केवल राजस्व न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। वादी के वाद के अभिवचनों से वाद किसी विधि द्वारा वर्जित नही है। वाद वादीगण के द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण की इस स्टेज पर वाद खारिज किया जाना कतई न्यायसंगत नहीं है। फलतः प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के आवश्यक तत्वों की पूर्ति नही होने के कारण वादीया का वाद पत्र किसी भी तरह से विधि द्वारा वर्जित नही है।

::आदेश::

अतः प्रतिवादी संख्या 1वा3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक–11.10.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.10.17 16:33:18 IST
Reason: SelfAttested